राजनीति विज्ञान

बी.ए.2 ईयर के छात्रों के लिए
प्रथम प्रश्न पत्र : पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक

“प्लेटो के राजनीतिक विचार”

चरैवेति चरैवेति

महात्मा ज्योतिबा फुले
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

प्रस्तुतकर्ता –
डॉ. नरेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान
राजकीय महाविद्यालय भोजपुर, मुरादाबाद

प्लेटो - जीवन चरित्र

प्लेटो का जन्म एथेन्स के कुलीन परिवार में 428 ई॰पू॰ हुआ था । उसके पिता एरिरट्रोन एथेन्स के अन्तिम सम्राट काडरस के वंशज थे । उसकी माता परिक्टियनी सोलन वंशज थी । प्रारम्भिक शिक्षा के बाद प्लेटो ने सुकरात के सानिध्य में 8 वर्ष तक अध्ययन किया । प्लेटो का पारिवारिक नाम उतरिस्तोक्लीज था ।

उसकी सुन्दर हृष्ट-पुष्ट काया को देखकर उसके व्यायाम शिक्षक ने उसे 'प्लेटो' नाम दिया । वह सक्रिय राजनीति में जाने का इच्छुक था, किन्तु 399 ई॰पू॰ में जब सुकरात को जहर दे दिया गया, तो उसके जीवन पर इतना आघात लगा कि उसने दार्शनिक जीवन को अपना लिया । विभिन्न देश तथा उनकी संस्कृति का अध्ययन करने के बाद उसने एथेन्स वापस लौटकर 386 ई॰पू॰ में अपना शिक्षणालय (एकेडमी) खोली । उसने जीवन के 40 वर्ष यहीं बिताये । इस अकादमी में राजनीति, कानून और दर्शन सभी विषयो की शिक्षा की सुविधा थी, किन्तु ज्यामिती, गणित, खगोलशास्त्र तथा भौतिकशास्त्र की शिक्षा के साथ-साथ यहां राजनीतिज्ञ, कानूनवेत्ता तथा दार्शनिक बनने की शिक्षा भी दी जाती थी । 367 ई॰ पू॰ में डायोनिसियस की मृत्यु के बाद उसके पुत्र दियोग को राजनीतिक पथ-प्रदर्शन के लिए प्लेटो की आवश्यकता थी ।

70 वर्ष की अवस्था में प्लेटो ने उसे दार्शनिक सिद्धान्तों के व्यावहारिक रूप की शिक्षा दी, किन्तु कुछ चाटुखोरों ने उनके बीच गम्भीर मतभेद पैदा कर दिये । प्लेटो 366 ई॰ पू॰ एथेन्स लौट आया । प्लेटो ने लगभग 38 ग्रंथों की रचना की, जिसमें द रिपब्लिक, स्टेटस्मैन, दी लॉज, फिल्वस, क्रीशस, अपॉलॉजी, मीनो आदि हैं । प्लेटो की "रिपब्लिक" रचना वास्तव में विद्यालयीन शिक्षा पद्धति का श्रेष्ठतम उदाहरण है । ऐसे महान् शिक्षाशास्त्री, दार्शनिक, न्यायशास्त्री, कानूनवेत्ता प्लेटो अपने पीछे अरस्तु जैसे श्रेष्ठ शिष्यों को छोड़कर संसार से 81 वर्ष की आयु में 347 ई॰ पू॰ चले गये ।

१. न्याय का सिद्धांत

ग्रीक राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्लेटो एक उच्चकोटि के आदर्शवादी राजनीतिक विचारक तथा नैतिकता के एक महान पुजारी थे । प्लेटो की न्याय धारणा में एथेन्स की तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक बुराइयों जिनमें लोकतंत्र के नाम पर धनिकतंत्र का प्रभाव एवं शक्ति राजनीति की उथल-पुथल की गम्भीर समस्याओं का आदर्शवादी समाधान है ।

चूँकि सुकरात की मृत्यु से प्लेटो का हृदय लोकतंत्र से भर गया था । अतः अपनी न्याय धारणा के आधर पर प्लेटो एक ऐसे शासनतंत्र की कल्पना करने लगा, जिसका संचालन श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा होता हो । न्याय क्या है ? यह प्लेटो की मुख्य समस्या रही है और इसी समस्या के समाधान के लिए 40 वर्ष की अवस्था में प्लेटो ने 'The Republic' की रचना की, जिसका उप-शीर्षक 'Concerning Justice' या "न्याय के संबंध में है ।"

प्लेटो ने आदर्श राज्य का निर्माण ही एक निश्चित उद्देश्य से किया, और वह उद्देश्य एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना है, जिसमें सभी वैयक्तिक, सामाजिक व राजनीतिक संस्थाएं न्याय से अनुप्राणित हो ।

'रिपब्लिक' में उसकी न्याय की खोज के दो रूप हो जाते हैं । पहला रूप उसका व्यक्तिगत न्याय का है और दूसरा रूप सामाजिक न्याय का । इस प्रसंग में प्लेटो ने आलोचक व दार्शनिक दोनों के ही रूप में कार्य किया है, क्योंकि अपने से पूर्ववर्ती विचारकों के न्याय संबंधी विचारों की आलोचना करते हुए उसने न्याय के अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है ।

प्लेटो के अनुसार – न्याय, सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन की केन्द्रीय समस्या है । इसलिए प्लेटो उन झूठे विचारों को जिन्हें सर्वसाधारण की भूल से सोफिस्टों की शिक्षा ने कपटपूर्वक फैला रखा था, हटाकर सच्ची न्याय की स्थापना करता है । इसके लिए प्लेटो रिपब्लिक में वार्ता शैली के साथ-साथ निगमनात्मक पद्धति (Deductive Method) का प्रयोग करके सभी परम्परागत सिद्धांतों की तर्क के आधार पर आलोचना करता है ।

एक न्यायोचित समाज में शासक, सैन्य वर्ग तथा उत्पादक वर्ग सभी वह करते है जो उन्हें करना चाहिए । इस प्रकार के समाज में शासक बुद्धिमान होते है, सैनिक बहादुर होते है और उत्पादक आत्मनियंत्रण या संयम का पालन करते हैं ।

'न्याय' प्लेटो की 'Republic' का प्रमुख वर्णय विषय है । प्लेटो के लिए न्याय एक नैतिक अवधारणा है । 'न्याय' ग्रीक भाषा में प्रयुक्त शब्द 'Dikaiosyne' से मिलता है जिसका अर्थ 'न्याय' शब्द से कहीं अधिक व्यापक है । 'Dikaiosyne' का अर्थ है- न्यायोचित नीति-परायणता ।

प्लेटो की न्याय की धारणा की प्रमुख विशेषताओं को इस प्रकार रेखांकित किया जा सकता है:

1. न्याय नीतिपरायणता का ही दूसरा नाम है,
2. यह अधिकारों के उपभोग से कर्तव्यों का दायित्व वहन अधिक है,
3. यह व्यक्ति का उसकी अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और सामर्थ्यानुसार समाज का योगदान है,
4. यह सामाजिक नैतिकता है, समाज के प्रति व्यक्ति का दायित्व है,
5. यह सामाजिक ताने-बाने की शक्ति है क्योंकि इसमें समाज की सभी प्रणालियाँ सम्मिलित होती हैं ।

पहले सुकरात के माध्यम से इन विचारों को व्यक्त करने से पूर्व प्लेटो ने उस समय विद्यमान न्याय के प्रचलित सिद्धांतों का खण्डन किया । उसने सिफेलस और उसके पुत्र पॉलिमार्कस के पारंपरिक नैतिकता के सिद्धांत पर दोषारोपण किया । इस सिद्धांत के अनुसार न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका देय देना था या वह करना जो ठीक लगे (सिफेलस) या मित्रों के लिए अच्छा करना और शत्रुओं को हानि पहुँचाना (पालिमार्कस) ।

प्लेटो ने न्याय के पारंपरिक सिद्धांत जो मनुष्य को वह करने के लिए मजबूर करता था जिसकी उससे अपेक्षा की जाती थी। प्लेटो ने न्याय के उक्त सिद्धांत का समर्थन नहीं किया । उसने कहा न्याय वह है जो सबके लिए अच्छा हो, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी, मित्र के साथ-साथ शत्रु के लिए भी ।

प्लेटो ने थ्रेसीमेकस की न्याय की उस परिवर्तनवादी धारणा को भी अस्वीकृत कर दिया जिसके अनुसार न्याय सदैव शक्तिशाली के पक्ष में होता है । वह थ्रेसीमेकस से यहाँ तक सहमत था कि चूँकि शासक शासन की कला को जानता है, इसलिए उसे सारी शक्ति प्राप्त होती है किंतु वह इससे सहमत नहीं था कि शासक अपने हित के लिए शासन करता है ।प्लेटो थ्रेसीमेकस की इस बात से सहमत था कि न्याय एक कला है, और जो इस कला को जानता है वहीं कलाकार है और कोई नहीं ।

फिर भी, न्याय का एक और सिद्धांत है जिसका दो भाइयों- ग्लॉकॉन और एडीमैंटस द्वारा समर्थन किया गया । उनका सिद्धांत न्याय का एक परंपरागत सिद्धांत है और इसका समर्थन सुकरात ने भी किया था । ग्लॉकॉन का कहना था कि न्याय कमजोर के हित में है (यह थ्रेसीमेकस के मत के विपरीत था जिसके अनुसार न्याय शक्तिशाली के हित में है) और यह कृत्रिम है क्योंकि यह प्रथाओं और परम्पराओं से उत्पन्न हुआ है ।

ग्लॉकॉन कहता है कि – "व्यक्ति अन्याय स्वतंत्रतापूर्वक और बिना बाधा के नहीं सहते लेकिन कमजोर, यह देखकर कि जितना अन्याय वह दूसरों के साथ कर सकता है उससे ज्यादा उसे सहना पड़ता है, दूसरों के साथ मिलकर न अन्याय करने ओर न अन्याय सहने का एक समझौता करता है और उस समझौते के अनुसरण में, वह नियम बनाता है जो बनने के बाद उनकी क्रियाओं के लिए मानक होते हैं और न्याय के लिए नियम संहिता ।"

प्लेटो ने सिफैलस, पॉलिमार्कस, थेसीमेकस, ग्लॉकॉन, एडीमैंटस तथा सुकरात जैसे पात्रों के बीच चर्चा के उपरांत जो न्याय का अपना सिद्धांत विकसित किया, वह निम्नलिखित है: 1. न्याय और कुछ नहीं बस यह सिद्धांत है कि व्यक्ति को केवल वही कार्य करने चाहिए जिसके लिए वह प्रकृति द्वारा उपयुक्त बनाया गया है । प्रकृति ने मनुष्य को तीन शासकों के अधीन रखा है- इच्छा (Desire) या तृष्णा (Appetite), भावना या मनोवेग (Emotion) और ज्ञान या बुद्धि (Knowledge or Intellect) ।

इच्छा का स्थान मनुष्य की कमर में है, शोर्य एवं भावना का स्थान हृदय में और ज्ञान का स्थान मस्तिष्क में है । वैसे ये सभी गुण सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं, परंतु किसी मनुष्य में किसी गुण की प्रधानता रहती है, किसी में किसी और की ।

इस आधार पर प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है जिनमें इच्छा या तृष्णा की प्रधानता होती है, वे उद्योग-व्यापार को तत्पर होते हैं; जिनमें भावना की प्रधानता है, वे सैनिक या योद्धा का व्यवसाय अपनाते हैं और जो ज्ञान से संपन्न होते हैं वे दार्शनिक के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं । यदि हम मनुष्य की प्रकृति के लिए उपयुक्त सदगुण निश्चित कर लें तो राज्य के लिए उपयुक्त सदगुण निर्धारित करना सुगम हो जाएगा ।

प्लेटो ने 4 मूल सद्गुणों (Cardinal Virtues) का विवरण दिया है । इच्छा या तृष्णा के लिए उपयुक्त सद्गुण संयम (Temperance) है । अतः उद्योग-व्यापार में संलग्न वर्ग को सदजीवन की प्राप्ति के लिए अपने अंदर संयम विकसित करना चाहिए ।

भावना या मनोवेग के लिए उपयुक्त सद्‌गुण साहस (Courage) है । अतः सैनिक वर्ग को सदजीवन बिताने के लिए अपने अंदर साहस विकसित करना चाहिए । ज्ञान के लिए उपयुक्त सद्‌गुण विवेक (Wisdom) है । दार्शनिक या बुद्‌धिजीवी वर्ग को इस गुण का विकास करना चाहिए ।

चौथा या अंतिम सद्‌गुण न्याय (Justice) है जो कि सर्वोच्च सद्‌गुण है । यह समस्त सद्‌गुणों के उपयुक्त संयोग का सूचक है, अर्थात् व्यक्ति के संदर्भ में न्याय से तात्पर्य यह है कि तृष्णा को साहस का सबल मिल जाए और विवेक से मार्गदर्शन प्राप्त हो ।

2. न्याय का अर्थ विशेषज्ञता और उत्कृष्टता है ।

3. न्याय व्यक्तियों को समाज में रहने में सहायता करता है । यह एक बंधन है जो समाज को एक साथ रखता है । यह व्यक्तियों का एवं राज्य के विभिन्न वर्गों का एक व्यवस्थित संगठन है ।

4. न्याय सार्वजनिक एवं निजी सदगुण दोनों है। इसका लक्ष्य व्यक्ति का तथा सारे समाज का लाभ करना होता है ।

प्लेटो का न्याय का सिद्‌धांत श्रम विभाजन, विशेषज्ञता और कार्यकुशलता की ओर ले जाता है । उसकी न्याय की धारणा में एक सामाजिक अच्छाई, एक निजी और सार्वजनिक नैतिकता और नैतिक निर्देश निहित हैं । फिर भी प्लेटो का न्याय-सिद्‌धांत इस अर्थ में एकदलीय है क्योंकि यह व्यक्ति को सत्ता के अधीन रखता है ।